प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1100 सन 2021
अनवान :–

1. कुलदीप पुत्र जीतराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जीतराम पुत्र खिराज जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर।
2. सरोज पुत्री जीतराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर।
3. सत्यप्रकाश पुत्र जीतराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर।
4. शारदा पत्नी आत्माराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर।
5. मनोज कुमार पुत्र आत्माराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर।
6. अनिल कुमार पुत्र आत्माराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 27.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 11/46 की कुल 10.4884हैक्ट में से 16927/52420 हिस्सा, रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 126/126 की कुल 3.4150हैक्ट रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 20/17 की कुल 3.5790हैक्ट में से 853/3441 हिस्सा व रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 164/156 की कुल 17.5280हैक्ट में से 12643/175280 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा खिराजराम वल्द रूधाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा खिराजराम वल्द रूधाराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा खिराजराम वल्द रूधाराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता खिराजराम वल्द रूधाराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट मे पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के

Scanned with CamScanner

सम्बध मे कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 11/46 की कुल 10.4884हैव में से 16927/52420 हिस्सा, रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 126/126 की कुल 3.4150हैक रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 20/17 की कुल 3.5790हैक मे से 853/3441 हिस्सा व रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 164/156 की कुल 17.5280हैव में से 12643/175280 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भू0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि खिराजराम वल्द रूधाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा खिराजराम वल्द रूधाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा खिराजराम वल्द रूधाराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल /राजीनामा पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तो के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 11/46 की कुल 10.4884हैक में से 16927/52420 हिस्सा, में वादी अकेला 0.9027हैक एवं प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.6770हैक प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.9027हैक व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिब 0.9026हैक रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 126/126 की कुल 3.4150हैक मे से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है वादी अकेला 0.3034हैक प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 0. 2276हैक प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.3034 हैक एव प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिब 0.3036हैक एवं रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 20/17 की कुल 3.5790हैक में से 853/3441 हिस्सा भूमि में वादी अकेला 0.2364हैक , प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 0.1774हैक प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.2364हैक एवं पतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिब 0.2370हैक भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता व रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 164/156 की कुल 17.5280हैक में से 12643/175280 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... देईदास

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कुलदीप पुत्र जीतराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 जीतराम पुत्र खिराज जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर।
2 सरोज पुत्री जीतराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर।
3 सत्यप्रकाश पुत्र जीतराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर।
4 शारदा पत्नी आत्माराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर।
5 मनोज कुमार पुत्र आत्माराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर।
6 अनिल कुमार पुत्र आत्माराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1100 सन 2021 निर्णय दिनांक– 2? .11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 11/46 की कुल 10.4884हैक्ट में से 16927/52420 हिस्सा, में वादी अकेला 0.9027हैक्ट एवं प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.6770हैक्ट प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.9027हैक्ट व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिब 0.9026हैक्ट रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 126/126 की कुल 3.4150हैक्ट मे से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है वादी अकेला 0.3034हैक्ट प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 0.2276हैक्ट प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.3034 हैक्ट एव प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिब 0.3036हैक्ट एवं रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 20/17 की कुल 3.5790हैक्ट में से 853/3441 हिस्सा भूमि में वादी अकेला 0.2364हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 0.1774हैक्ट प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.2364हैक्ट एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिब 0.2370हैक्ट भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता व रोही मौजा मगवान के खाता संख्या 164/156 की कुल 17.5280हैक्ट में से 12643/175280 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 2?.11.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....देईदास

Scanned with CamScanner